

07.11.2017 वदुलाय डपो  
 वकील अग्रार्थी ने ध्यान दिया कि शाम पंचायत से जो रकम प्राप्त हुआ है, उसकी नकल इसके पास नहीं हुई है। अतः पेशी इलाका अर्जने का निवेदन किया। लिहाजा नकल हेतु अन्तिम आदेश दिया जाता है। पचावली दि. 21.11.2017 को पेशा हो।

श्री  
 अति. विजय कलेक्टर, पाली

21.11.17 वदुलाय डपो  
 वकील अग्रार्थी लक्ष्य हेतु समय चाहते हैं, जो पूर्व में पथरित आदेश दिये जा चुके हैं। अतः अन्तिम आदेश दिया जाता है। पचावली दि. 01.12.2017 को पेशा हो।

अति. विजय कलेक्टर, पाली

01.12.2017 वदुलाय डपो  
 पचावली का आवलीकन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त रकम से संतुष्ट है, जिसका आवलीकन न्यायालय जिला अदालत पाली को करने से पचावली न्यायालय जिला अदालत पाली को स्थानान्तरित की जाती है। पचावली आशाम तारीख पेशी दि. 11.12.2017 को न्यायालय जिला अदालत पाली के समक्ष उपस्थित रहे। पचावली क्षेत्र न्यायालय के नाम से कम ले।

श्री  
 अति. विजय कलेक्टर, पाली

101  
 1417/11